सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 75/2018

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां (अपीलाट)

बनाम

भारतीय गैस प्राधिकरण (LPG) गैस पाईप लाईन परियोजना, कोटा जर्ये मुख्य प्रबन्धक **(रेस्पोडेन्ट)**

अपील विरूद्व इंतकाल नम्बर 59 ग्राम मण्डोली तहसील बारां
अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– पेरोकार सरकार (अपीलांट)
2– श्री पद्म कुमार जैन, गुना (म.प्र.) (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 20.04.2018

डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत राजस्थान सरकार का पक्ष प्रभावित होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मण्डोली की जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता नंबर 137 पर किता 21 रकबा 2.92 है. भूमि भारतीय गैस प्राधिकरण (LPG) गैस पाईप लाईन परियोजना, कोटा के नाम नामान्तरकरण नंबर 59 से दर्ज हुई है। प्रकरण में खातेदारान के हित प्रभावित नहीं होने से उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। संलग्न अनुसूची में अंकित खसरा नंबर किता 25 में से खसरा नंबर 293, 308, 309, 325/385 के खातेदारान द्वारा सक्षम न्यायालय में व्यक्तिगत वाद दायर कर वापस भूमि उनके खाते में दर्ज करवा ली है जिनकी पुष्टि हेतु नामान्तरकरण नंबर 114 व नकल जमाबन्दी खाता संख्या 7, 74, 75, 132 खाता संख्या 101, खाता संख्या 7, 101, 125 संलग्न पत्रावली है। भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 464 दिनांक 14.01.1985 द्वारा ग्राम मण्डोली के खसरा नंबर किता 25 में गैल इण्डिया लि. को भूमि उपयोग का अधिकार दिया गया था। गैल इण्डिया से प्राप्त पत्रावली मे संलग्न पत्र प्रकरण संख्या 36/84 दिनांक 22.09.1984 अनुसार परिशिष्ट 'क' मे अंकित खसरा नंबरान पर राजस्व अभिलेख में ''भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन'' से सम्बन्धित प्रविष्टि करने के लिये लिखा गया था, ना कि नामान्तकरण की कार्यवाही करते हुये भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज करने को। इस बात की पुष्टि गैल इण्डिया के पत्र दिनांक 10.11.2005 से भी होती है। तत्समय सहवन से उक्त आदेश के तहत नामान्तरकरण की कार्यवाही करते हुये भूमि गैल इण्डिया के नाम दर्ज कर दी गई जबकि जमाबन्दी के विशेष विवरण के कॉलम में उक्त आशय का नोट अंकित किया जाना चाहिये था। डीआईएलआरएमपी योजना के तहत डिजीटल मेप में प्रत्येक खसरा नंबर की तरमीम की जानी है। नियमानुसार तरमीम मौके अनुसार की जाती है। मौके पर पाईप लाईन भूमिगत निकल रही है। इस कारण मौके पर पाईप लाईन नहीं दिखने के कारण तरमीम नहीं की जा सकती। अतः उक्त नामान्तरकरण का खारिज होना, भूमि पूर्ववत खातेदारान के नाम दर्ज होना तथा खसरा नंबरान में गैल इण्डिया द्वारा भूमि उपयोग में लेने का विशेष विवरण के कॉलम में नोट लगना आवश्यक है।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से वरिष्ठ प्रबन्धक, गेल इण्डिया लिमिटेड, विजयपुर एवं उनके अभिभाषक उपस्थित हुये।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। दौराने बहस अपीलांट के प्रतिनिधि ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि उक्त नामान्तरकरण खारिज किया जाना, भूमि पूर्ववत खातेदारान के नाम दर्ज होना तथा खसरा नंबरान में गैल इण्डिया द्वारा भूमि उपयोग में लेने का

विशेष विवरण के कॉलम में नोट लगाये जाने हेतु अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। रेस्पोडेन्ट के प्रतिनिधि एवं अभिभाषक ने ग्राम मण्डोली का नामान्तरकरण नम्बर 59 खारिज कर भूमि पुनः खातेदारान के नाम दर्ज किये जाने तथा ग्राम मण्डोली के खसरा नंबर कुल किता 25 में गैल इण्डिया लिमिटेड को भूमि उपयोग का नोट जमाबन्दी के विशेष विवरण के कॉलम में अकित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम मण्डोली का नामान्तरकरण संख्या 59 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार बारां को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, कोटा के प्रकरण संख्या 36/84 दिनांक 22.09.1984 में पारित अवार्ड आदेश दिनांक 25.11.1987 की पालना की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बारां (राज.)